

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION - 2018

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 16
No. of Printed Pages : 16

JUDGMENT WRITING

निर्णय लेखन

Fourth Paper

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./
प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks/
अंक

SETTLEMENT OF ISSUES

विवादकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - 10

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- In the present case plaintiff has sought ejectment against defendant on the ground that defendant is in possession of two rooms & one kitchen in capacity of tenant of plaintiff and plaintiff is in need of tenanted premise for his own use. This house is situated at “C” scheme Jabalpur and plaintiff is residing in the same house alongwith his family and whereas defendant is also tenant in a segment of such house paying rent @ Rs. 1000/- per month.

WRITTEN STATEMENT :- The defendant has pleaded accommodation available to the plaintiff is sufficient for him. Plaintiff wants to eject the defendant as the rents have been increased in vicinity and Plaintiff wants to get the undue advantage. Defendant is tenant in premise since 1968 and making regular timely payment of rent. The notice of ejectment given by plaintiff is illegal.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवादक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – इस वाद में वादी ने प्रतिवादी की बेदखली इस आधार पर चाही है कि मकान के दो कमरे और एक रसोई प्रतिवादी के पास है जिनकी आवश्यकता वादी को अपने उपभोग के लिए है। यह मकान “C” स्कीम जबलपुर में स्थित है और उसमें वादी अपने परिवार के साथ रहता है और उसी मकान का एक हिस्सा प्रतिवादी के पास 1000 ₹. माहवार किराये पर है।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादी का अभिवचन है कि वादी के पास पर्याप्त मकान है ओर बेदखली वादी इसलिए चाहता है कि मकानों के किराये बढ़ गये हैं और इसका वह अनुचित फायदा उठाना चाहता है। प्रतिवादी 1968 से किरायेदार है और उसने यथासमय किराया अदा किया है। वादी ने जो बेदखली का नोटिस दिया है वह अवैध है।

FRAMING OF CHARGES

आरोपों की विरचना

Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.- 10

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS – The prosecution case is that 'A' lives in a residential blocks of H.E.L Colony Bhopal. On 01-05-2017, after his dinner at 10:00 p.m., 'A' locked his house and went to attend a marriage in the adjacent colony. After marriage ceremony was over 'A' returned back to his house at 03:00 a.m. and found that someone had broken the lock of his house and removed his new Hero bicycle frame no H-5394. 'A' rushed to police station and lodged First Information report.

During investigation sub-inspector 'B' came to know from 'C' that on the date of incident in mid night 'D' was noticed near to house of 'A'. 'D' was taken into custody and he had given a memorandum statement that the bicycle is in his possession kept by him inside his room. Sub inspector 'B' prepared the memorandum, signed by accused 'D' and witnesses 'E' and 'F'. In consequences of information received from 'D', Hero bicycle No H-5394 was recovered from his room in presence of accused 'D' and witnesses 'E' and 'F'. Seizure memo was prepared by S.I. 'B' and bicycle was sent to Executive Magistrate for get the same identified. Identification parade was conducted and 'A' identified the bicycle as his own.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :- अभियोजन का मामला यह है कि 'क' एच.ई. एल. कालोनी भोपाल के एक आवासीय खण्ड में निवास करता है। दिनांक 01. 05.2017 को रात्रि 10:00 बजे खाना खाने के पश्चात् 'क' अपने घर में ताला बन्द करने के पश्चात् पड़ोस की कालोनी में एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए चला गया। विवाह समारोह होने के पश्चात् 'क' प्रातः 03:00 बजे अपने घर लौटा। जब वह अपने घर आया तब उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने उसके घर का ताला तोड़ दिया

था और घर के अन्दर से उसकी नई हीरो साइकिल फ्रेम संख्या एच-5394 ले गया है। 'क' भागकर पुलिस थाना गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी।

अन्वेषण के दौरान उपनिरीक्षक 'ख' को 'ग' से यह ज्ञात हुआ कि घटना की तिथि पर मध्य रात्रि में 'घ' को 'क' के घर के आस-पास देखा गया था। 'घ' को अभिरक्षा में लिया गया और 'घ' ने फर्द बयान दिया कि साइकिल उसके कब्जे में है और अपने कमरे के अंदर रख दिया है। उपनिरीक्षक 'ख' ने साक्षीगण 'ड' तथा 'च' व अभियुक्त 'घ' की उपस्थिति में 'घ' से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप 'घ' के कमरे के अन्दर से हीरो साइकिल फ्रेम संख्या एच-5394 बरामद की थी। फर्द बरामदगी तैयार की गई तथा साइकिल को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया ताकि इसकी शिनाख्त कराई जा सके। शिनाख्त परेड कराई गई तथा 'क' ने बरामद की गई साइकिल को अपनी साइकिल के रूप में शिनाख्त की।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)

निर्णय / आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :- 40

Plaintiff's Pleadings :-

[1] Plaintiff filed the suit for specific performance with the averments that the defendant is owner of agriculture land measuring 3 acre bearing survey No 109 situated at Manda tehsil Hujur Dist. Rewa. Defendant was in need of money as plaintiff entered in an agreement to sale dated 24 April, 2013 with the defendant.

[2] Total sale consideration agreed was 10 lac's per acre. Plaintiff had made the payment of Rs. 20 lac's in advance to the defendant at time of agreement and it was agreed between them that the defendant will execute sale deed in favour of plaintiff on or before 26/11/2013 expenditure borne by plaintiff whereas plaintiff shall pay rest consideration amount to defendant at the time of registration. It was further agreed between the Parties that

if plaintiff fails to purchase the land in question, the advance given by plaintiff would be forfeited and in case the defendant is fails to execute sale deed in favour of plaintiff, defendant will return the advance amount 20 lac's and further Rs. 5 lac's shall be given to plaintiff by defendant. It is further agreed that the possession shall be delivered at the time of registration. It is further agreed that agreement will having binding effect on the legal heirs and successors and assigns of parties. The agreement further stipulated a condition that defendant will execute sale deed of land free from any dispute and lien *etc.* In case of any dispute, the time of limitation to perform agreement will not take effect and defendant shall executed sale deed in favour of plaintiff within 6 month from the settlement of such dispute.

[3] In month of Oct, 2013 plaintiff asked defendant to execute sale deed as he was ready to pay rest consideration amount but defendant does not pay any heed to the request of plaintiff. On 3rd Nov 2013, the plaintiff met with defendant and asked him to execute sale but defendant ignored his request. Plaintiff also came to know that there is a litigation between defendant and his brother in Revenue Court, in which brother of defendant has challenged mutation of disputed land in the name of defendant. Finally litigation ended in August 2016 in favour of defendant. The plaintiff asked to defendant to execute sale deed in his favour but defendant refused to do so. Thereafter, the plaintiff served a notice through his counsel and asked defendant to be present in registrar office on 28th Dec, 2016 to receive his rest amount and execute sale deed.

[4] Plaintiff went with consideration amount in office of registrar on 28/12/2016 and was remained available there till 5 O'clock but defendant did not turned.

[5] Plaintiff has claimed reliefs to issue direction to defendant to receive remaining amount and execute sale deed in favour of

plaintiff and he also be directed to bear the cost of litigation. In alternative relief to return Rs. 20 lac's alongwith interest and adequate damage also has claimed by plaintiff.

Defendant's Pleadings :-

[1] The defedent has denied the contents of pleading of plaintiffs and submitted that the fault is not his part but on the part of plaintiff. He has further submitted that plaintiff had contacted to the defendant in month of Oct 2013 or On 3rd Nov 2013 and asked him to execute sale deed and receive balance amount but defendant did not pay any heed to the request of plaintiff. In fact, the plaintiff had no money as he had never served any notice to defendant. Dispute relating to mutation is not concerned with the plaintiff. The disputed land was in name of defendant and he was ready to perform his part of contract but plaintiff had no money with him. In fact, the defendant had contected to the plaintiff on 23rd Nov. 2013 and asked him to get registered sale deed in his favour after payment of remaining sale consideration whereas plaintiff said to defendant that value of properties are decreasing. He suffered losses in a deal of land with someone Mr. Anil Singh, and he has no money to pay. As far as concern to the mutation proceedings, it was started on the instance of plaintiff as he had instigated his brother and help him to file frivolous litigation against him which ultimately ended in his favour. Plaintiff had sent a notice dated Dec, 2016 which was duly replied by his counsel. The defendant has also submitted that he has no knowledge that whether plaintiff was present in the office of registrar or not on 28 Dec, 2016. However, it is made clear that plaintiff had no money or he was not interested to get registered sale deed till Jan 2014. He has prayed that Plaintiff is not entitled to any relief. Suit is time barred and is liable to be dismissed with exemplary cost.

Plaintiff's Evidence :-

[1] Plaintiff filed documents Ex.P-1 to Ex-P-7 which are certified copies of Khasra Panchsala to support their case in which name of defendant has been recorded as owner. He also filed original agreement to sale and defendant admitted his signature on it. He also has filed notice dated Dec. 2016 and reitriated its contents.

[2] PW-2 is witness of agreement to sale who deposed that agreement to sale was written in his presence and parties to the agreement and he had signed the same. Plaintiff had given a cheque for sum of Rs. 20 lac's to defendant. Plaintiff had also filed his bank account pass book which shows that the plaintiff had sufficient money in his account at relevant time.

[3] He has filed certified copy of the register maintained at Registrar office which shows that plaintiff was present at Registrar office on 28/12/2016. He has also filed certified copies of mutation proceedings which reveal that the brother of defendant had filed appeal against mutation. It is also reveals by documents that mutation order in favour of defendant was in Ex-parte order.

[4] He denied suggestion that at his instigation defendant's brother filed appeal against mutation. He also denied that he had no money. He also denied that he did any land deal with Mr Anil Singh in which he had suffered loss.

[5] He has also admitted that he did not send any notice before Dec, 2016, but he explained that he came to know about dispute between defendant and his brother on 5/11/2013 as he had not sent notice and sent only after ended the litigation.

Defendant's Evidence :-

Defendant entered in to witness box and in his examination in chief,

he has supported his case. He has not filed any documents. He has admitted that plaintiff had given Rs. 20 lac's cheque which was credited in his account. He also has admitted that there was a litigation pending in Tehsil between him and his brother and he also admitted litigation was pending before the date of execution of sale deed in favour of plaintiff. He has also admitted that plaintiff is not known to his brother. In cross examination he admitted that on 23/11/2013 plaintiff was out of station. He also admitted that land price had risen almost twice but denied that it is the reason to not execute sale deed by him.

Arguments of Plaintiff :-

Plaintiff was always willing and ready to perform his part. He has argued that he had made maximum part of consideration then why he will not pay rest of the amount. Moreover, his bank account proves that plaintiff had sufficient money to pay. As per contract, in case of any litigation then time mentioned in agreement will not be essence of contract. As the defendant was in litigation with his brother and as per contract after ending of litigation in favour of defendant, he had served notice to defendant within six month. He had served notice and warranted defendant to execute the sale deed, He was also waiting at Registrar office but defendant did not come to execute sale deed. He had done his best but escalation of price made the defendant's intention dishonest. Neither suit is barred by limitation nor defendant be permitted to refute the agreement to sale.

Arguments Defendant :-

Plaintiff was never given any notice within stipulated period of contract. Time was the essence of the contract. Suit is barred by limitation. It is further argued that agreement to sale makes a provision that in case of the defendant will not execute sale deed in favour of plaintiff then he will return Rs. 25 lac's to the plaintiff, therefore, defendant cannot be compel to execute sale deed.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :-

1. वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए इस अभिवचन के साथ दावा प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि सर्वे नं. 109 स्थित मौजा माड़ा तहसील हुजूर जिला रीवा क्षेत्रफल 3 एकड़ प्रतिवादी के स्वामित्व की है। प्रतिवादी को पैसे की आवश्यकता थी, उसने प्रतिवादी के साथ दिनांक 24.4.2013 को विक्रय का अनुबंध किया।

2. कुल प्रतिफल 10,00,000/-रूपये प्रतिएकड़ के हिसाब से निर्धारित हुआ। वादी ने 20,00,000/-रूपये अग्रिम अनुबंध निष्पादित होने के समय प्रतिवादी को दिये और यह शर्त तय हुई कि दिनांक 26 नवम्बर 2013 को या उसके पहले प्रतिवादी, वादी के पक्ष में उसके खर्चे पर विक्रय पत्र निष्पादित कर देगा और वादी पंजीकरण के समय शेष राशि प्रतिवादी को प्रदान करेगा। ये शर्त भी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निर्धारित हुई कि यदि वादी भूमि को क्रय नहीं करता तो उसके द्वारा दी गयी अग्रिम राशि जप्त कर ली जायेगी और यदि प्रतिवादी, वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करता तब वह 20,00,000/-रूपये जो अग्रिम दिये गये हैं एवं 5,00,000/-रूपये वादी को वापस कर देगा। ये भी निर्धारित हुआ कि कब्जा पंजीकरण के समय प्रदान किया जायेगा। आगे ये भी निर्धारित हुआ कि करार दोनों ही पक्षों के वैध प्रतिनिधियों के उत्तराधिकारियों और समनुदेशियों पर भी बंधनकारी रहेगा। करार में यह भी शर्त थी कि प्रतिवादी समस्त विवादों से मुक्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित करेगा और यदि यह पाया जाता है कि कोई विवाद है तो करार में दर्शित समय सीमा बंधनकारी न होगी और उक्त विवाद के निपट जाने के 6 माह के भीतर प्रतिवादी, वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा।

3. अक्टूबर 2013 के महीने में वादी ने प्रतिवादी से कहा कि वह विक्रय पत्र निष्पादित कर दे, वह शेष राशि देने को तैयार है, परन्तु प्रतिवादी ने नहीं सुना। 3 नवम्बर 2013 को वादी पुनः प्रतिवादी से मिला और उससे कहा कि विक्रय पत्र निष्पादित करा दे लेकिन उसने वादी के प्रार्थना को अनसुना कर दिया। वादी को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी का अपने भाई के साथ राजस्व न्यायालय में विवाद चल रहा है। उसके भाई ने प्रतिवादी के पक्ष में हुए नामांतरण को चुनौती दे रखी है। अंततः वह विवाद अगस्त 2016 में प्रतिवादी के पक्ष में निराकृत हुआ। वादी ने पुनः प्रतिवादी से कहा कि वह विक्रय पत्र निष्पादित कर दे परन्तु उसने करने से इंकार कर दिया, तब वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को एक नोटिस दी कि दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को वह रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित रहे और शेष प्रतिफल की राशि लेकर विक्रय पत्र निष्पादित करे।

4. वादी प्रतिफल की राशि को लेकर रजिस्ट्री आफिस दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को गया और शाम 5:00 बजे तक रहा परन्तु प्रतिवादी नहीं आया।

5. वादी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी को निर्देशित किया जाय कि वह शेष राशि लेकर उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करे तथा मुकदमे का खर्च भी प्रतिवादी से दिलाया जाय। विकल्प में 20,00,000/- रुपये मय ब्याज एवं उचित क्षतिपूर्ति के साथ दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

1. प्रतिवादी ने वादपत्र के अभिवचनों को इंकार करते हुये यह अभिवचन किया कि त्रुटि उसकी ओर से नहीं अपितु वादी की ओर से हुई है। उसने आगे यह भी निवेदन किया कि वादी अक्टूबर 2013 या 03 नवम्बर 2013 को प्रतिवादी से मिला और उससे कहा कि उसके पास पैसा तैयार है, वह राशि लेकर उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करे और प्रतिवादी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम पर थी और वह अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार था किंतु स्वयं वादी के पास पैसे नहीं थे। वास्तव में प्रतिवादी ने वादी से 23 नवंबर 2013 को संपर्क कर उससे कहा कि वह रजिस्ट्री करा ले और प्रतिफल की शेष राशि दे दे तब वादी ने प्रतिवादी से कहा कि भूमि की कीमत गिर रही है। एक सौदा उसने अनिल सिंह नामक व्यक्ति से किया था जिसमें उसे काफी घाटा हो गया है, उसके पास राशि नहीं है। जहाँ तक नामांतरण प्रक्रिया का प्रश्न है वह वादी के ही उकसाने पर और उसकी मदद से असत्य मामला उसके भाई ने प्रस्तुत किया जो कि अंततः उसके पक्ष में निराकृत हुआ। वादी ने दिसम्बर 2016 में एक नोटिस अवश्य भेजा था जिसका उचित उत्तर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है।

2. प्रतिवादी का यह भी अभिवचन था कि दावे की कंडिका 4 में वर्णित तथ्य का ज्ञान प्रतिवादी को नहीं है कि वादी रजिस्ट्रार आफिस में दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को उपस्थित था या नहीं, किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी के पास कोई पैसा नहीं था अथवा वह जनवरी 2014 तक रजिस्ट्री कराने के लिए इच्छुक नहीं था। प्रतिवादी ने यह प्रार्थना की है कि वादी किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। वाद समयावधि बाधित है इसलिये इसे क्षतिपूरक परिव्यय लगाकर निरस्त किया जाये।

वादी की साक्ष्य :-

1. वादी ने प्र.पी.1 से लेकर प्र.पी.7 खसरा पंचशाला की सत्य प्रतिलिपि अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवादी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उसने मूल विक्रय अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। दिसम्बर 2016 में दी गयी नोटिस भी प्रस्तुत की और उसके तथ्यों का समर्थन किया।

2. (वादी साक्षी क्र.2) विक्रय अनुबंध का साक्षी है। उसने यह कथन किया कि

विक्रय अनुबंध उसके समक्ष लिखा गया। वादी और प्रतिवादी ने उस पर उसके सामने हस्ताक्षर किये और उसने भी उस पर अपने हस्ताक्षर किये। वादी ने 20,00,000/-रूपये का चेक प्रतिवादी को दिया। वादी ने अपने बैंक एकाउंट की पास बुक भी प्रस्तुत की जो यह दर्शित करता है कि सुसंगत समय पर उसके पास पर्याप्त रकम थी।

3. वादी ने रजिस्ट्रार आफिस में संधारित रजिस्टर की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो यह दर्शित करता है कि दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को वादी रजिस्ट्रार आफिस में उपस्थित था। उसने नामांतरण संबंधी कार्यवाहियों की भी सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जिससे यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी के भाई ने नामांतरण के विरुद्ध 20 जून 2013 को अपील प्रस्तुत कर दी थी। इन दस्तावेजों से भी प्रकट होता है कि प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय रूप से की गयी थी।

4. वादी ने इस तथ्य को भी इंकार किया है कि उसके उक्साने पर प्रतिवादी के भाई ने नामांतरण के विरुद्ध अपील फाइल की थी। उसने इस सुझाव को भी इंकार किया कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने इस सुझाव को भी इंकार किया कि अनिल सिंह से उसका कोई करार था और उसमें उसको घाटा हुआ।

5. वादी ने यह स्वीकार किया कि उसने दिसम्बर 2016 के पहले कोई नोटिस नहीं भेजी, परन्तु उसने यह स्पष्टीकरण दिया कि 5 नवम्बर 2013 को ही उसको यह जानकारी हो गयी थी कि प्रतिवादी एवं उसके भाई के मध्य विवाद चल रहा है, इसीलिए उसने नोटिस नहीं भेजी और जैसे ही विवाद समाप्त हुआ, उसने प्रतिवादी को नोटिस भेजी।

प्रतिवादी की साक्ष्य :-

1. प्रतिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ। उसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने मामले को समर्थित किया। उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। उसने यह स्वीकार किया कि वादी ने उसे 20,00,000/-रूपये का चेक दिया था जो उसके खाते में भुगतान हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके तथा उसके भाई के मध्य तहसील न्यायालय में विवाद रजिस्ट्री कराने के निर्धारित समय के पहले से लंबित था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादी, प्रतिवादी के भाई को नहीं जानता। उसने यह भी स्वीकार किया कि 23 नवम्बर 2013 को वादी शहर के बाहर था। उसने यह भी स्वीकार किया कि भूमि की कीमत लगभग दोगुनी हो गयी है लेकिन इस बात से इंकार किया कि इसी कारण से वह विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर रहा है।

तर्क वादी :-

वादी की ओर से तर्क किया गया कि वादी हमेशा अनुबंध के पालन के लिए इच्छुक एवं तत्पर रहा। उसने प्रतिफल के अधिकतम भाग भुगतान कर दिया तो वह शेष भाग

क्यों भुगतान नहीं करेगा ? उसके बैंक एकाउण्ट यह प्रमाणित करते हैं कि उसके पास पर्याप्त धन था। संविदा के अनुसार यह निर्धारित था कि यदि यह पाया जाता है कि कोई विवाद लंबित है तो अनुबंध में दर्शित समय सीमा संविदा का सार न होगी। चूंकि प्रतिवादी अपने भाई के साथ विवाद में संलिप्त था, संविदा के अनुसार जैसे ही विवाद समाप्त हुआ उसके 6 माह के भीतर उसने प्रतिवादी को नोटिस भेजा और उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने की मांग की, वह रजिस्ट्री आफिस में भी प्रतिवादी का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रतिवादी नहीं आया। उसने अपने भाग का पूरा पालन किया, परन्तु भूमि की कीमत बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी की नीयत खराब हो गयी। न तो दावा समय बाधित है और न ही प्रतिवादी को विक्रय संविदा की शर्तों से इंकार करने की अनुमति दी जा सकती है।

तर्क प्रतिवादी :-

वादी ने कभी कोई नोटिस संविदा में वर्णित निर्धारित समय में नहीं दी। समय संविदा का मर्म था। दावा समय बाधित है। ये भी तर्क किया गया कि विक्रय अनुबंध में ये प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करता तो 25 लाख रुपये वापस कर देगा, इसलिए प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

निर्णय / आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)

- Q. 4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. 40**

Prosecution Case :- Prosecution story in brief, around 04:00 PM complainant 'A' came at P.S. Nagalwadi District Barwani and stated that on 14.11.2016 at about 03:45 PM., his brother 'D' came outside her house situated near middle school and demanded money. On refusal to give money, 'A' abused and used filthy words for her mother and sisters and caused razor blade injuries on her hand from which blood was oozing out. She also stated that 'D' also threatened to cause her death. Her mother 'B' and neighbor C had intervened. On the bases of her statement, ASI 'H' recorded First Information Report U/s 294, 323 and 506 IPC against 'D'.

Thereafter, investigation was conducted and during investigation 'A' was sent for medical examination. Razor blade was seized from 'D'. On chemical examination, presence of human blood was confirmed on razor blade. In medical examination incised wound of simple nature was found over right hand of 'A'. Statement of 'A' was recorded u/s 161 Cr.P.C. After completion of investigation charge sheet was filed.

Defence Plea :- Accused 'D' on was charged and pleaded not guilty and claimed him innocent.

Evidence for prosecution :- Evidence was adduced on behalf of Prosecution which substantially supported the case of prosecution. In court 'A' stated that on 14.11.2016 at about 03:45 PM., she was sitting outside her house along with her mother 'B' and neighbor 'C' . At the same time, accused 'D' came and demanded money from her and on refusal he uttered some filthy words and caused razor blade injury on her right hand. Blood was oozing out of injury. 'B' and 'C' intervened and took her to P.S. Barwani. She admitted her signature on F.I.R. [P-1] and site spot map [P-2]. In her cross examination, she has admitted that she has taken Rs. 10,000/- loan form her brother which she has not repaid yet also that no injury was caused on her left hand. She has denied false implication of 'D' in order to avoid repayment of loan amount.

Mother 'B' deposed that she was inside her home, on hearing hue and cry of her daughter she came out and saw blood on her daughter's hand and whereas 'D' was escaping from the spot.

Neighbour 'C' did not supported prosecution case and he was declared hostile.

'Doctor' also supported the case of prosecution and deposed during medical examination he found an incised bound of .3x.5 inches on right hand of 'A' and multiple superficial incised wound

over left forearm caused by Sharp edge object. As per doctor, injuries may be caused by sharp cutting object within 6 Hour of his examination for which his MLC report is EX P-3. In his class examination he has denied the suggestion that injuries found on body of injured were self inflicted.

I.O. 'H' has supported F.I.R. and incident site map [P-2] and seizer of razor blade.

Evidence for defence :- The accused 'D' in his examination of 313 Cr.P.C. denied allegations against him and took a defense that in order to evade payment of loan money Rs. 10,000/- her sister has falsely implicated him.

Arguments of Prosecutor :- The prosecution has argued that the prosecution has proved its case beyond any reasonable doubt and charges against the accused have been proved. Hence accused is liable to be convicted.

Arguments of Defence Counsel :- On behalf of accused, it has been argued that there is no eye witness of incident. The testimony of complainant is doubtful. On account of loan transaction he has falsely been implicated. Hence be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी 'ए' ने पुलिस थाना नांगलवाड़ी, जिला बड़वानी में शाम 4 बजे आकर यह बताया कि दिनांक 14.11.2016 को लगभग सायं 03:45 बजे उसका भाई 'डी' उसके घर जो कि मिडिल स्कूल के पास स्थित है, आया और बोला कि मुझे पैसे दो। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी 'डी' ने उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जो उसे सुनने में बुरी लगी एवं आरोपी ने उसके दोनों हाथों में रेजर पत्ती से मारा जिससे कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। उसकी मां 'बी' तथा पड़ोस में रहने वाली 'सी' के द्वारा आकर बीच-बचाव किया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। फरियादी की सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक 'एच' के द्वारा एफआईआर अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. के तहत 'डी' के विरुद्ध दर्ज की गई।

प्रकरण विवेचना में लिया गया फरियादी 'अ' को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया। 'डी' से रेजर ब्लेड की जप्ती की गई। रेजर ब्लेड का रासायनिक परीक्षण कराने पर उस पर मानव रक्त होना पाया गया। मेडिकल परीक्षण में एक ही हाथ पर एक कटा हुआ घाव (इनसाइज्ड वुंड) होना पाया गया जो कि साधारण प्रकृति का होना पाया गया। धारा 161 के अंतर्गत साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :- अभियुक्त 'डी' ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं स्वयं को निर्दोष होना बताया।

अभियोजन की साक्ष्य :- अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षियों के कथन कराए जिनके द्वारा सारभूत रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया। न्यायालय के समक्ष फरियादी 'अ' के द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 14.11.2016 को 03:45 बजे जब वह अपने घर के बाहर अपनी मां 'बी' एवं पड़ोस की रहने वाली महिला 'सी' के साथ बैठी थी, उसी समय आरोपी 'डी' आया एवं पैसों की मांग करने लगा। उसने पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने उसको अश्लील गालियां दी और उसके दाएं हाथ पर रेजर ब्लेड से चोट पहुँचाई। चोट लगने से उसके हाथ में खून निकलने लगा। 'बी' व 'सी' के द्वारा बीच-बचाव किया गया तथा उसे पुलिस थाना नांगलवाड़ी ले गए। एफआईआर प्र.प्री.-1 तथा नक्शा मौका प्र.प्री.-2 तथा उस पर हस्ताक्षर 'अ' ने प्रमाणित किये। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने अपने भाई 'डी' से 10 हजार रुपये उधार लिये थे जो कि उसने अभी तक वापस नहीं दिए हैं। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उसके बाँए हाथ में कोई चोट नहीं आई थी। उसने इस बात से इनकार किया कि कर्ज की राशि वापस न देना पड़े इस कारण 'डी' को झूठा फंसाया गया है।

फरियादी की मां 'बी' के द्वारा यह बताया कि वह घर के अंदर थी और अपनी पुत्री की चिल्लाने की आवाज पर बाहर आई थी और उसने अपनी पुत्री के हाथ पर खून देखा था तथा आरोपी को भागते हुए देखा था। पड़ोसी 'सी' के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया।

चिकित्सक के द्वारा अभियोजन पक्ष की पुष्टि करते हुए आहता 'अ' के परीक्षण में उसके दाएं हाथ में .3 x .5 इंच की कटी हुई चोट एवं बाँए हाथ में सुपरफिशियल कटी हुई चोट पाई गई थी जो कि धारदार हथियार से 6 घंटे के भीतर आना बताया गया है। इस संबंध में उनकी एमएलसी रिपोर्ट प्र.प्री.-3 है प्रतिपरीक्षण में इस बात से इनकार किया है कि आहता की चोट स्वकारित हो सकती है। विवेचना अधिकारी 'एच' के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घटनास्थल के मौका नक्शा प्र.प्री.-2 तथा रेजर ब्लेड की जप्ती के तथ्य का समर्थन किया गया।

बचाव साक्ष्य :- अभियुक्त 'डी' ने धारा 313 दंप्रसं. के अंतर्गत परीक्षण में उसके विरुद्ध लगाए गए आक्षेपों को इनकार करते हुए बचाव लिया है कि उसकी बहन के

द्वारा उससे लिये 10 हजार रूपये ऋण न लौटाना पड़े इस कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियोजक का तर्क :- अभियोजन का तर्क है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला सभी बिंदुओं पर संदेह से परे प्रमाणित किया है तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित किये गये है। अतः आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जाये।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :- आरोपी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। फरियादी की साक्ष्य संदेहास्पद है। उसे पुराने ऋण संव्यवहार के कारण झूठा फंसाया गया है, अतः उसे बरी किया जावे।
